होते हैं । दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि, चूंकि शहरीकृत गांवों के लिए उप-नियमों में किसी प्रकार की रियायत या छूट की अनुमति देने का दिल्ली नगर निगम, अधिनियम, 1957 में कोई प्रावधान नहीं है, अतः दिल्ली नगर निगम ने, उप-नियम तैयार करते समय, भवन उप-नियम, 1983 में छूट का कोई प्रावधान नहीं दिया था ।

दिल्ली में सामूहिक आवास समितियों को भूमि का आवंटन

785. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **शहरी विकास** मंत्री 7 मई, 1993 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1390 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में उन सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि आवंटित करने का विचार रखती है जिन्हें अब तक भूमि आवंटित नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें भूमि कब तक आवंटित किए जाने की आशा है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी०के० थुंगन) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण की सूचनानुसार उन्होंने अक्टूबर/नवम्बर, 1992 में 264 सहकारी सामूहिक समितियों को आवंटन प्रस्ताव भेजे थे । भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन समितियों को पहली किश्त 31-7-93 तक जमा कराने का समय दिया था । यदि कोई समिति इस निर्धारित तारीख तक देय राशि जमा नहीं कराती है तो उसका आवंटन प्रस्ताव वापिस लिया जा सकता है तथा वे भूखंड वरीयतानुसार, अगली पात्र समिति को दिए जा सकते हैं । अपेक्षित संख्या में भूखंड उपलब्ध होने पर सहकारी समूह आवास समितियों को भूमि का आवंटन वरीयता के आधार पर किया जाएगा ।

उत्तर प्रदेश में गंदी बस्तियों का विकास

786. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में गंदी बस्तियों के विकास की योजना बनाने के लिए राज्य सरकार को कोई सलाह दिए जाने की आशा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इन गंदी बस्तियों के विकास के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त होने की आशा है या सरकार ने इसके लिए मांग की है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में गंदी बस्तियों के विकास के लिए इससे पहले विश्व बैंक से कोई सहायता प्राप्त हुई थी ; यदि हां, तो उक्त सहायता से कितनी गंदी बस्तियों का विकास किया गया ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं । शहरी विकास राज्य का विषय है अतः राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे अपनी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी गंदी बस्तियों के विकास की योजनायें बनाएं ।

(ख) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में एकीकृत स्लम विकास हेतु 52.05 करोड रुपए की वाह्य सहायता का प्रस्ताव भेजा था, जो 49000 परिवारों वाले 146 स्लमों की सुधार के बारे में है। वाराणसी प्रस्ताव ओ डी ए (यू०के०) को वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया था परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस परियोजना को लेने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। वाराणसी परियोजना हेतु जर्मन सरकार से सहायता लेने के भी प्रयास किए गए परंतु उस सरकार से भी कोई उत्साहवर्धक जवाब नहीं मिला है ।